सं0सं09/आ0-7-22/2015 - 950 (9)

**बिहार सरकार**

**स्वास्थ्य विभाग**

**संकल्प**

डा0 संजीव कुमार सिन्हा, पूर्व आवासीय शल्य चिकित्सक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से अपने कर्त्तव्य से दिनांक 20.12.97 से 31.01.98 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे उसके पश्चात पुनः दिनांक 15.02.99 से 16.11.99 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा दिनांक 24.11.99 से बिना अनुमति के विदेश अध्ययन अवकाश पर जाने और वापस लौटने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं रहने के कारण दोषी मानते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित अधिगम में आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 22.11.99 के द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 24.11.99 से एक वर्ष के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध सरकार से किया था, की छायाप्रति भेजते हुए विभागीय पत्रांक-146(9) दिनांक 24.02.15 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। डा0 सिन्हा द्वारा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में डा0 सिन्हा को भेजे गये पत्र, के लिफाफे पर अंकित किया गया है, कि इस नाम का कोई भी डाक्टर सर्जरी विभाग में नहीं है। अतः वापस अंकित करते हुए विभाग को लौट आई।

3. विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरान्त पॉच वर्षो से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम-76 के आलोक में डा0 संजीव कुमार सिन्हा को बर्खास्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया, जिसपर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की गई।

4. अतः डा0 संजीव कुमार सिन्हा, पूर्व आवासीय शल्य चिकित्सक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को पॉच वर्षो से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम-76 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- संकल्प की प्रति डा0 संजीव कुमार सिन्हा एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 950 (9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 09/09/016

**प्रतिलिपि** :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि** :- जिला पदाधिकारी पटना/क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन पटना/अधीक्षक एन0एम0सी0एच0, पटना/पी0एम0सी0एच0 पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि** :- डा0 संजीव कुमार सिन्हा, पूर्व आवासीय शल्य चिकित्सक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि** :- संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि** :- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**- आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

9.9.16

सरकार के अवर सचिव

D:\Sweta\Section-9-01-11-12\SWETA SHARMA 2016\Sankalp 2016.docx